

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-5

क्रमांक : ए.1(4)94/89/पार्ट V/2031
दिनांक : 22 फरवरी, 2022

परिपत्र

निगम द्वारा जारी आदेश क्रमांक A.1(4)94/89/Pl.IV दिनांक 16.02.2022 के द्वारा रीको में RGHS लागू की जा चुकी है। उक्त आदेश के क्रम में समस्त कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि RGHS Registration हेतु स्वयं के स्तर पर जनआधार कार्ड बनवाकर SSO ID के माध्यम से अनिवार्य रूप से दिनांक 24.02.2022 तक RGHS कार्ड बनवाया जाना सुनिश्चित करें तथा कार्ड बनवाकर उपमहाप्रबंधक (एचआरडी)/संबंधित इकाई प्रभारी को सूचित करेंगे।

Jan
(बिन्दु करुणाकर)
सलाहकार (ए.एण्डएम.)

प्रतिलिपि:

1. समस्त नियंत्रक अधिकारी
2. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी
3. समस्त इकाई प्रभारी

को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को उपरोक्त संबंध में सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

4. उप महाप्रबंधक (कम्प्यूटर) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है वह उक्त परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. न्यास सचिव, आर.आई.एम.डी.सी. सीपीएफ ट्रस्ट
6. प्रबंधक, बिल्स
7. कार्यालय आदेश पत्रायली
8. नोटिस बोर्ड

प्रतिलिपि को भी :

1. वरि.निजी सचिव, अध्यक्ष
2. वरि. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक
3. निजी सचिव, अधिशाषी निदेशक